

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 13.7.2018

क्र. एफ 44-13/2017/20-2

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (स्कूल शिक्षा विभाग)
4. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल (स्कूल शिक्षा विभाग)
मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

संदर्भ- 1 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20-2 भोपाल दि. 07.07.2018

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस पत्र माध्यम से जारी किये गये निर्देश की कण्डिका 3.6 एवं 7 को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


1. कण्डिका 3.6 -
- 3.6. मॉडल स्कूल एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के चयन होने तक पूर्व में अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार रखे जाने वाले अतिथि शिक्षकों को इस आशय का शपथपत्र देना होगा के उपरोक्त आनलाईन प्रक्रिया के सम्पन्न होने एवं उसमें चयनित न होने पर अध्यापन कार्य से प्रथक हो जायेंगे।
2. कण्डिका 7

क्र	गतिविधि	अवधि
1	GFMS पोर्टल में पंजीकृत तथा सत्यापित आवेदक द्वारा पूर्व में दर्ज परीक्षा के विषय/प्राप्तांक/पूर्णांक/ आधार नंबर में संशोधन	9-13 जुलाई
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय		
1	आवेदक द्वारा स्कोर कार्ड सहित विद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना	16-23 जुलाई
2	विद्यालय स्तर पर एस.एम.सी. द्वारा पैनल तैयार कर अनुमोदन।	24 जुलाई
3	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों को आमंत्रित करना	24 जुलाई
4	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति	25-26 जुलाई

निरन्तर.....2.....

5	संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी को पोर्टल में दर्ज करना।	28 जुलाई तक
हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी विद्यालय		
1	आवेदक द्वारा विद्यालय का चयन (GFMS पोर्टल पर Choice Filling)	16-18 जुलाई
2	GFMS पोर्टल पर विद्यालयवार, विषयवार पैनल जनरेशन	19 जुलाई
3	विद्यालय स्तर पर एस.एम.डी.सी. द्वारा पैनल का अनुमोदन	20 जुलाई
4	पैनल में शामिल आवेदक संबंधित विद्यालय को अपनी सहमति देना	21-22 जुलाई
5	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों को आमंत्रित करना	22 जुलाई
6	संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी को पोर्टल में दर्ज करना।	24 जुलाई तक

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।


(प्रमोद सिंह) 13/7/18


उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 44-13/2017/20-2

भोपाल दिनांक 13.7.2018

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।


13/7/18
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//लेखीराम//

13072018